

बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी/बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग/मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एवं एम.बी.ए.  
में अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों (NRI CANDIDATES) के लिये  
काउंसलिंग कार्यक्रम एवं प्रवेश प्रक्रिया

सत्र 2022-23

विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश, मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र 266 दिनांक 19 मई, 2011 में प्रकाशित प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011 (Admission Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses) Regulations, 2011) के आधार पर उपरोक्त पाठ्यक्रमों में एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु अनिवासी भारतीय अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। काउंसलिंग की समय सारणी एवं प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

// समय-सारणी //

क्र.	गतिविधियाँ	दिनांक/समय
1.	ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के द्वारा आवेदन प्रस्तुत करना होगा।	20/08/2022 से 05/09/2022 तक
2.	दस्तावेज का सत्यापन, संस्था/ब्रांच का आवंटन एवं प्रवेश (बी. टेक. बी.ई. मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एवं एम.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिये)	11/09/2022 (प्रातः 11:30 बजे)

1. ऑनलाइन पंजीयन (Online Registration)

पंजीयन हेतु निम्नलिखित प्रक्रिया होगी-

- एनआरआई सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवारों को काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये वेबसाइट में उपलब्ध संबंधित पाठ्यक्रम में जाकर ऑनलाइन पंजीयन/आवेदन करना होगा।

2. दस्तावेजों का सत्यापन (Documents Verification):- समय सारणी में दिये गये अनुसार निर्धारित तिथि को विश्वविद्यालय कार्यालय में उपस्थित होकर अभ्यर्थी को अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा।

एनआरआई सीटों पर प्रवेश हेतु उम्मीदवारों को निम्नलिखित मूल दस्तावेजों का सत्यापन करवाना होगा:-

- अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची, यदि बोर्ड/विश्वविद्यालय, जिससे अभ्यर्थी ने अपनी अर्हकारी परीक्षा, ग्रेड पद्धति में उत्तीर्ण की है तो ग्रेड से प्रतिशत अंकों के संपरिवर्तन का फार्मूला लागू होगा, यह फार्मूला भारतीय दूतावास/उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा प्रमाणित होना आवश्यक होगा, अभ्यर्थी, जिसने भारत से भिन्न किसी देश से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की है, उसे भारतीय दूतावास/भारतीय वाणिज्यिक दूतावास या भारतीय विश्वविद्यालयों के संघ (एसोसिएशन), नई

दिल्ली से इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है कि उत्तीर्ण की गई भारतीय पद्धति की संबंधित अर्हकारी परीक्षा के समतुल्य है;

- राष्ट्रीयता का सबूत;
- भारतीय दूतावास से या उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास से, जहाँ अनिवासी निवास कर रहे हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र कि अभ्यर्थी के माता या पिता अनिवासी भारतीय हैं; अथवा अनिवासी भारतीय के पासपोर्ट की मूल प्रति अथवा भारतीय दूतावास या उस देश के भारतीय वाणिज्यिक दूतावास द्वारा पासपोर्ट के सम्पूर्ण पृष्ठों की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जहाँ अनिवासी भारतीय माता-पिता निवास कर रहे हैं;
- माता/पिता द्वारा अपने पुत्र/पुत्री को अनिवासी भारतीय श्रेणी में प्रायोजित किये जाने हेतु नोटरी द्वारा दिया गया शपथ-पत्र;
- अभ्यर्थी द्वारा स्व अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट आकार के फोटोग्राफ;

#### शिक्षण शुल्क :-

- ✓ एनआरआई सीटों के लिये शिक्षण शुल्क की राशि US 3,000/- प्रतिवर्ष निर्धारित है।
- ✓ काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिये आंशिक शिक्षण शुल्क रु. 75,000/- (रुपये पच्चहत्तर हजार मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट जोकि श्री सत्य साईं प्रौद्योगिकी एवं चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, सीहोर के नाम से तथा सीहोर में देय हो, सत्यापन के दौरान उपरोक्त दस्तावेजों के साथ जमा करना होगा।

#### टीप:-


1. मूल दस्तावेज सत्यापन उपरांत वापिस कर दिये जावेंगे।
  2. प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवारों को मेरिट के अनुसार संस्था/ब्रांच का आवंटन किया जावेगा।
  3. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि एनआरआई सीटों पर प्रवेश के लिये "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" के अनुसार जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है, अनिवार्यतः प्रस्तुत करें। निर्धारित दस्तावेजों के अभाव में उम्मीदवार को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी तथा उसे संस्था/ब्रांच के आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
3. **संस्था/ब्रांच का आवंटन (Allotment of Institution/Branch)**
    - दस्तावेजों के सत्यापन के तुरंत बाद उम्मीदवारों को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा तथा पाठ्यक्रमवार उनके मेरिट अनुसार संस्था/ब्रांच का आवंटन किया जावेगा।
    - उम्मीदवारों को उनकी मेरिट के अनुसार बुलाया जावेगा तथा चाहे अनुसार उपलब्ध संस्था/ब्रांच का आवंटन किया जावेगा।
    - आवंटन उपरांत उम्मीदवार को आवंटन पर्ची (Allotment Slip) जारी की जावेगी।

आवंटित संस्था में उपस्थिति तथा प्रवेश (Reporting and Admission at Alloted Institute/Deparment)

आवंटन के बाद अभ्यर्थी को तीन दिन में आवंटित विभाग में अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र तथा आवश्यक अन्य शुल्क के साथ उपस्थित होना होगा, उम्मीदवार संस्था में रिपोर्ट करने के उपरांत की प्रवेश-पत्रों की अवश्य प्राप्त करें।

**महत्वपूर्ण टीप:-**

- एनआरआई सीटों पर प्रवेश के लिये "प्रवेश (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों में अनिवासी भारतीय को आरक्षण) विनियम, 2011" (Admission Reservation to non-resident Indian in AICTE Approved Courses Regulations, 2011) वेबसाईट पर उपलब्ध हैं। उम्मीदवार ऑनलाईन काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इन विनियमों का सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें तथा पात्रता संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेजों को तैयार रखें। दस्तावेजों के अभाव में प्रवेश नहीं दिया जावेगा।
- उम्मीदवार सुनिश्चित कर लें कि वे अपने अर्हकारी परीक्षा एवं अन्य योग्यता प्रवेश हेतु करते हैं। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने मिथ्या या गलत सूचना के आधार पर या संबद्ध तथ्यों को छुपाकर प्रवेश लिया है या प्रवेश के बाद किसी समय यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रवेश किसी भूल या अनवेक्षा के कारण दे दिया गया है तो उसके अध्ययन के अनुक्रम के दौरान ऐसे अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश बिना कोई सूचना दियो प्रमुख या सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस समय रद्द कर दिया जाएगा।
- प्रत्येक स्तर पर भुगतान किये गये शुल्क तथा विभिन्न स्तर पर की गई कार्यवाही का प्रिंटआउट अवश्य प्राप्त कर लें तथा अपने पास संदर्भ के लिये सुरक्षित रखें।



कुलसचिव

Registrar  
Sri Satya Sai University of  
Technology & Medical Sciences.